संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश
E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क्रमांक / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 873 भोपाल, दिनांक 17.06.2020

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)।

विषयः– नरसिंहपुर जिले एवं अन्य जिलों में होम क्वारेंटाईन के संबंध में।

माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक / 11383 / CMS/PUB/2020 दिनांक 05.06.2020 (मूलतः संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके साथ श्री पवन पटेल का ई–मेल मूलतः संलग्न कर प्रेषित करते हुये पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश देते हुये की गई कार्यवाही से शासन को एवं संबंधित को अवगत कराने के निर्देश दिये है। साथ ही कार्यवाही हो जाने के पश्चात विभाग के टर्मिनल में की गई कार्यवाही संक्षिप्त रूप में अंकित कर प्रकरण अपने स्तर से विलोपित करने के निर्देश दिये गये है। प्रकरण मूलतः आप से संबंधित होने के कारण उस पर आपके द्वारा कार्यवाही की जाना है।

अतः निर्देशानुसार प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही हो जाने के पश्चात विभाग के टर्मिनल में की गई कार्यवाही संक्षिप्त रूप में अंकित कर प्रकरण अपने स्तर से विलोपित करते हुये संबंधित को एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः– मूलतः उपरोक्तानुसार।

(डॉ.वीणा सिन्हा)
अपर संचालक (आई.डी.एस.पी.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.

पृ. क्रमांक / आई.डी.एस.पी. / 2020 / भोपाल, दिनांक 17.06.2020

प्रतिलिपिः– श्री सुधीर कोचर, उप सचिव, मुख्य मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र. मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक / 11383 / CMS/PUB/2020 दिनांक 05.06.2020 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ।

अपर संचालक (आई.डी.एस.पी.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क्र 344 अमुस / लो.स्वा / 20
दिनांक 9.6.20 CM Monit-C

मुख्य मंत्री कार्यालय
मध्य प्रदेश
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल - 462004

क्रमांक 2884 प्र.सचिव / लो.स्वा.प.क.
दिनांक 10/6/20

क्र.: 11383/CMS/PUB/2020

भोपाल,दिनांक 05/06/2020

विषय: नरसिंहपुर जिले एवं अन्य जिलों में Home quarantine के संबंध में ।

श्री पवन पटेल गाडरवारा जिला नरसिंहपुर म.प्र. द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित प्राप्त पत्र मूलतः संलग्न है। निर्देशानुसार अनुरोध है कि पत्र पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही से संबंधित को अवगत कराने का कष्ट करें।

कार्यवाही हो जाने के पश्चात विभाग के टर्मिनल में की गई कार्यवाही संक्षिप्त रूप में अंकित कर प्रकरण अपने स्तर से विलोपित करने का कष्ट करें।

कृपया आपके कार्यालय के आंतरिक पत्राचार की प्रतिलिपि इस कार्यालय को पृष्ठांकित न करें।

(सुधीर कुमार कोचर)
उप सचिव
मुख्यमंत्री

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

In Date 11/6/20
Out Date 11/6/20

- 9 JUN 2020

PS Health

Dir (IDSP)

Dr. Saurabh
DD

Director on leave
JD (IDSP)

11/6

DSCC2

Gmail

SHRI SHIVRAJ SINGH CHOUHAN CM MP <cmmpprogramme@gmail.com>

विषय- नरसिंहपुर जिले एवं अन्य जिलों में Home quarantine के संबंध में।

1 message

pavan patel <pavanpatelgwr@gmail.com> Sun, May 24, 2020 at 11:05 PM
To: pmh7rcr@gov.in, Amit Shah <amitshah.bjp@gmail.com>, cmmpprogramme@gmail.com, cm@mp.gov.in, prinsec.pmo@gov.in, cs@mp.nic.in, commjabalpur@mp.gov.in, dmnarsinghpur@nic.in, sdmgadarwara121@gmail.com

प्रति,

माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी,
भारत सरकार, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री निवास से प्राप्त
30/5/2020

माननीय गृह मंत्री महोदय जी,
भारत सरकार, नई दिल्ली

C 99 Health

11383/CMS/PUB/2020
05/06/2020

माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी,
मध्य प्रदेश शासन, भोपाल

विषय- नरसिंहपुर जिले एवं अन्य जिलों में Home quarantine के संबंध में।

अनुभव जी,

विषय अंतर्गत लेख है कि वर्तमान में भारतवर्ष में 14 दिवस की होम कोरेनटाइन गाइडलाइन जारी की गई थी।

वर्तमान समय में लगातार 2 माह लाक डाउन के कारण लोगों की स्थिति आर्थिक रूप से डामाडोल हो चुकी है। जिन परिवारों के बच्चे बाहर शिक्षा के लिए बाहर अध्ययन कर रहे या प्राइवेट नौकरी कर रहे थे।

जब वह नरसिंहपुर जिले में महामारी के कारण वापस आए तो वर्तमान में उन्हें 45 दिन के लिए जिला प्रशासन द्वारा होम quarantine कर दिया गया है कई लोगों को 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 "समता के अधिकार" व अनुच्छेद 21 "प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार"का उल्लंघन स्पष्टतया कारित किया जा रहा है।
क्योंकि "विधि" सभी के लिए समान है।विधि के साथ विभेद नहीं किया जा सकता।किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है।।

वर्तमान समय में उनके परिवार के लोग आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियां संचालित नहीं कर पा रहे हैं एवं अन्य कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं।
कई लोगों को इलाज कराने हेतु दूसरे शहरों में आवागमन करना है इस कठोर नियम के कारण आवागमन नहीं कर पा रहे हैं।
उनका रोजगार प्रभावित होगा अतः वह इलाज नहीं करवा रहे हैं।

14 दिन बाद उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर उन्हें 45 दिन या उससे अधिक की कैद से मुक्ति प्रदान करवाने की कृपा करें।

अन्य व्यापारिक गतिविधियां एवं इलाज हेतु दूसरे शहरों में आवागमन कर सकें।

ताकि वह भुखमरी से बच सकें।
आवश्यक कार्रवाई हेतु आवेदन प्रस्तुत
भवदीय
पवन पटेल, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश

प्रतिलिपि:-
श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय जी प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
श्रीमान मुख्य सचिव महोदय जी मध्यप्रदेश शासन की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
श्रीमान संभाग आयुक्त महोदय जी जबलपुर की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जी नरसिंहपुर की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
श्रीमान अनुविभागीय राजस्व अधिकारी महोदय जी गाडरवारा की और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।